



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4319

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 42338 वर्ष 2025

जितेन्द्र उर्फ लुक्का डॉन

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : हसन परवेज

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। आज विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से दाखिल पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री हसन परवेज, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से तथा श्री योगेश मिश्रा, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 560 वर्ष 2024, धाराओं 103(1), 309(6)/61(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना बहेड़ी, जिला बरेली के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त रितिक को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 13.5.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 13071 वर्ष 2025 में पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूँकि आवेदक का मामला उस सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः वह भी समानता के आधार पर जमानत पाने का अधिकारी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक को आरोपित आपराधिक इतिहास को शपथपत्र में स्पष्ट किया गया है। आवेदक दिनांक 25.12.2024 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
6. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उक्त तथ्यात्मक पहलू का उनके द्वारा खंडन नहीं किया गया।
7. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।
8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नब्बन खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 आपराधिक एल.जे. 938** में पारित निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा **पारस राम विष्णोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021** तथा **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।
9. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **जितेन्द्र उर्फ लुक्का डॉन** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

सिद्धांत

Translated Version. Not for Legal Use.